

पीठासीन अधिकारी – श्री विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 32/23

दायर दिनांक :- 27.09.2023

निर्णय दिनांक:- 16.01.2024

1. मणिलाल बरगोट पिता शंकरलाल जाति भील निवासी चांदु का वेला तहसील गनोडा जिला बांसवाडा।
प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील गनोडा जिला बांसवाडा।

अप्रार्थी

वकिल प्रार्थी:- युवराजसिंह शक्तावत

वाद अन्तर्गत धारा 136 भु.राजस्व अधिनियम बाबत नाम शुद्धि

-:: निर्णय ::-

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मोर प.हं0 बोरदा तहसील गनोडा जिला बांसवाडा में स्थित कृषि भूमि हाल खाता संख्या 101 नया 84 पुराना की जमाबंदी संवत् 2075-78 का खातेदार होकर निर्बाध रूप से काबिज होकर काशत कर रहा है तथा मौके पर कोई भी विवाद नहीं है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम मणिलाल पुत्र शंकरलाल है तथा सभी दस्तावेज इन्ही नाम से होकर प्रार्थी को मणीलाल के नाम से ही जाना पहचाना व पुकारा जाता है लेकिन खाता संख्या 101 नया 84 पुराना जमाबंदी संवत् 2075-78 में मणीलाल के स्थान मणिया हो गया है जिसे मणिलाल पिता शंकरलाल किया जावें।

अप्रार्थी तहसीलदार गनोडा का जबाव दिनांक 26.12.2023 को प्राप्त हुआ जिसमें तहसीलदार गनोडा ने प्रार्थना पत्र का समर्थन किया कि मणिया व मणिलाल दोनो एक ही व्यक्ति होकर घर पर मणिया कहते है एवं दस्तावेज में मणिलाल है। प्रार्थी वकिल की बहस सुनी गई।

पत्रावली मे प्रस्तुत राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी की प्रति, पेन कॉर्ड की प्रति, ड्रोइविंग लाईसेंस, जनआधार, बिजली का बिल, 10वी की मार्कशीट की छायाप्रतिया पेश की है। जिसका गहनता से अवलोकन किया गया एवं समस्त दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम मणिलाल पुत्र शंकरलाल अंकन है तथा तहसीलदार गनोडा ने भी प्रार्थना पत्र का समर्थन किया है इसलिए प्रार्थी का नाम मणिया पुत्र शंकर के स्थान पर मणिलाल पुत्र शंकरलाल किया जाना उचित प्रतित होता है इसलिए मणिया पुत्र शंकर के स्थान पर मणिलाल पुत्र शंकरलाल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

-:: आदेश ::-

वाके ग्राम मोर प.हं0 बोरदा तहसील गनोडा जिला बांसवाडा में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2075-78 हाल खाता संख्या 101 नया 84 पुराना के खसरा नं. 1265/655 क्षेत्रफल 0.90हैक्ट, में प्रार्थी का नाम मणिया पुत्र शंकर के स्थान पर मणिलाल पुत्र शंकरलाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गनोडा उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करे।

उक्त आदेश आज दिनांक 16.01.2024 को न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।



(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
घाटील